संख्याः 410/XVII(4)/2014/5(10)/14

सहपत्र

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0
उत्तराखण्ड, देहरादून।

एल. एन. पंत
(अपर सचिव, वित्त)
24.2.14

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग, देहरादूनः दिनांक 25 फरवरी, 2014

विषयः– राज्य सरकार सहायतित "मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजना" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त **विषय**क के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य की निराश्रित, विधवा एव्रं निर्बल वर्ग की महिलाओं एवं किशोरियों को उनकी आजीविका में आवश्यक सहयोग प्रदान करने के उददेश्य से निराश्रित, विधवा एवं निर्बल वर्ग की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करते हुए स्वावलंबन की ओर अग्रसर किये जाने के लिए एक महत्वकांक्षी योजना "**मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजना**" संचालित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– राज्य सरकार द्वारा निराश्रित विधवा एवं निर्बल वर्ग की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करते हुए स्वावलम्बी बनाये जाने व महिलाओं को आर्थिक एवं वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने तथा महिलाओं के समस्त आयामों को सम्मिलित करते हुए उन्हे सशक्त बनाये जाने हेतु योजना लाभकारी होगी।

3– "**मुख्यमंत्री सतत आजिविका योजना**" के माध्यम से निम्नलिखित अतिरिक्त उददेश्यों की पूर्ति भी की जायेगीः–

I- निराश्रित, विधवा एवं निर्बल वर्ग की महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना।

II- निराश्रित एवं विधवा महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा का आधार प्रदान करना।

III- महिला विशिष्ट अवसरंचना की स्थापना करना।

IV- समस्त निर्बल वर्ग की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करते हुए स्वाबलम्बन की ओर अग्रसर करना।

V- महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा एवं वृद्धावस्था में सम्मान जनक जीवन व्यतीत करने हेतु स्थायित्व प्रदान करना।

4– **योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता का स्वरूप निम्नवत् होगाः–**

राज्य में उक्त योजना के प्रथम चरण में 1500 निराश्रित एवं विधवा महिलाओं को उनकी आवश्यकता एवं मांग आधारित प्रशिक्षण एवं उद्यमता विकास संबंधी कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित कराया जायेगा। प्रशिक्षण की अवधि के दौरान उक्त लाभार्थियों को रू0 1000/– की धनराशि स्टाइपन के रूप में

उपलब्ध कराई जायेगी। प्रशिक्षणोपरान्त लाभार्थियों को उनके व्यवसाय के अनुसार परिसम्पत्तियों की पूर्ति योजना के अंतर्गत करवाई जायेगी। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं स्वावलम्बन की ओर अग्रसर किये जाने हेतु अधिकतम रू. 50,000/– की धनराशि ही सहयोग राशि के रूप में अनुमन्य होगी।

5–योजना के तहत आर्थिक सहायता हेतु पात्रता की शर्तें निम्न प्रकार होगीः–

I- लाभार्थी निराश्रित, विधवा एवं निर्बल वर्ग से होनी चाहिए।

II- लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य में होनी चाहिए।

III- लाभार्थी उत्तराखण्ड राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए।

IV- लाभार्थी किसी अन्य योजना से समान व्यवसाय से लाभान्वित नहीं होनी चाहिए।

6–योजना का कियान्वयन– उक्त योजना का क्रियान्वयन महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति के अंतर्गत निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा एवं आवश्यकता अनुसार योजना का संचालन सहयोगी के रूप में चयनित एजेन्सी जैसे–सरकारी, गैर सरकारी संस्थायें एवं प्रशिक्षण संस्थान इत्यादि के माध्यम से भी किया जायेगा।

6– योजना का लाभ दिये जाने की प्रकिया– राज्य के समस्त जनपदों में उक्त योजना के तहत निराश्रित, विधवा एवं निर्बल वर्ग की महिलाओं का चयन जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी या अर्ह कियान्वयन एजेन्सियों के माध्यम से किया जायेगा। चयनित लाभार्थियों की सूची को प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारियों के अध्यक्षता में गठित कमेटी के माध्यम से सत्यापित किया जायेगा। कमेटी में निम्नवत् सदस्य होंगेः–

I- जिलांधिकारी	अध्यक्ष
II- मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य सचिव
III- जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
IV- तकनीकि शिक्षा के प्रतिनिधि	सदस्य
V- महाप्रबन्धक उद्योग	सदस्य
VI- कियान्वयन एजेन्सी के प्रतिनिधि	सदस्य

7– योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन– उक्त योजना का समय–समय पर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन विभाग द्वारा चयनित वाह्य एजेन्सी के माध्यम से प्रत्येक छमाही पर किया जायेगा। सम्बन्धित लाभार्थियों की चयन, प्रशिक्षण एवं आर्थिक सहायता से सम्बन्धित मासिक प्रगति का प्रेषण विभागान्तर्गत संचालित राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई को किया जायेगा, साथ ही समय–समय पर जिला अधिकारी उक्त योजना की प्रगति की समीक्षा अपने स्तर पर भी करेंगे।

8– उक्त योजना का संचालन वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या–15 के लेखाशीर्षक–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02–समाज कल्याण–102–बाल कल्याण–12–00–इन्दिरा महिला समेकित विकास योजना के अन्तर्गत–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के नामे डाला जायेगा।

9– यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशा0 संख्या 248 (P)/XXVII (1)/2013-14 दिनांक 24 फरवरी, 2014 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव

संख्या: 410 /XVII(4)/2014/**5(10)/14** तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड सरकार।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3– निजी सचिव, मा0 महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री जी।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव, अपर सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
6– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7– मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
8– समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10–उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति, उत्तराखण्ड देहरादून।
11–एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
12–भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
13–गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(निधि मणि त्रिपाठी)
अपर सचिव